सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2013 को सभी जिले के उप विकास आयुक्त, निदेशक तथा कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से हुयी बैठक की कार्यवाही ।

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा बताया गया कि इस वर्ष देर से वर्षा होने से नर्सरियों में पौधे देर से विकसित हुए हैं । (जिलावार पौधों की उपलब्धता की सूची सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है) । इस क्रम में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उप विकास आयुक्त को निदेश दिया गया कि वे अपने संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी से समन्वय कर मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु पौधे इन नर्सरियों से प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

   (अनुपालन सभी उप विकास आयुक्त एवं कार्यक्रम पदाधिकारी ।)

2. वन विभाग के नर्सरियों में पौधों के क्रय से संबंधित अभिश्रव देने की व्यवस्था नही होने के संबंध में निर्णय हुआ कि विक्रय संबंधी जो पंजी सबंधित नर्सरी द्वारा संधारित की जाती है उस पंज़ी में विक्रय से संबंधित क्रमांक तथा तिथि को क्रेता को दिया जाएगा तथा उक्त को अभिश्रव संख्या के रूप में उपयोग में लाया जायेगा ।

   (अनुपालन सभी संबंधित पर्यावरण एवं वन विभाग के पदाधिकारी/ कर्मचारी/ नर्सरी प्रभारी तथा मनरेगा के कार्यान्वयन निकाय ।)

3. पर्यावरण एवं वन विभाग के प्राईवेट नर्सरियों की सूची सभी वन प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध है जिसे समन्वय कर प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।

   (अनुपालन सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त ।)

4. फलदार पौधे सिर्फ कुछ बीजू किस्म के पर्यावरण एवं वन विभाग के नर्सरियों में मिलेंगे, अन्य किस्म के फलदार पौधे बागवानी मिशन से या बाजार से (विहित प्रक्रिया से) क्रय किये जा सकते है ।

5. गैबियन के संबंध में यह निर्णय हुआ कि आगे से जो वृक्षारोपण होंगे उनके सुरक्षा के लिये 200/- की अधिसीमा से अधिक का केगेवियन लगया जाए, इस संबंध में अलग से दिशा- निदेश भी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा ।

   (अनुपालन सामाजिक वानिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग ।)

6. सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पुन: निर्देशित किया गया कि नदी तट, नहर तटबंध, राष्ट्रीय एवं राज्य सड़को पर पर्यावरण एवं वन विभाग के अतिरिक्त किसी के द्वारा वृक्षारोपण नही किया जाना है । सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक भूमि पर प्रत्येक पंचायत में प्रति वर्ष 10 इकाई वृक्षारोपण के निदेश को दोहराया गया तथा यह स्पष्ट किया गया की यह न्यूनतम सीमा है। इसका सतत पर्यवेक्षण राज्य स्तर से भी किया जायेगा ।

   (अनुपालन सभी पंचायतें, कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा MIS टीम ।)

7. ऐसे दृष्टांत है जहां पुराने वृक्षारोपण के कामो में e-MR नही निर्गत किये जा रहे हैं, यह एक गंभीर मामला है जिससे वनपोषको को ससमय भुगतान नही मिलने से वृक्षों का संपोषण कुप्रभावित होगा । सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने ताकिद किया की इस कारण से वृक्ष मरने पर जिम्मेवारी संबंधित पंचायतों एवं कार्यक्रम पदाधिकारी पर निर्धारित होगी ।

   (अनुपालन सभी पंचायतें, कार्यक्रम पदाधिकारी ।)

8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने वृक्षारोपण कार्य में 50% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति की महिलाओं को संपोषण कार्य देने सबंधित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का पुन: निदेश दिया ।

(अनुपालन सभी पंचायतें, कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ।)

9. निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढावा देने का निदेश दिया गया । सुपौल जिले में इसके अच्छे परिणामों की चर्चा हुयी तथा इस क्रम में समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों को लक्षित करने का निदेश दिया गया । निजी भूमि पर जिले कम पौधे के मानक प्राक्कलन जिसमे तदनुसार अनुपातिक मानव दिवस का प्रावधान होगा, विकसित कर कार्यान्वयन कर सकते हैं ।

(अनुपालन सभी पंचायतें, कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ।)

10. मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित प्रखंड कार्यालय के परिसर में वृक्षारोपण एवं इस क्रम में सौदर्यिकरण करने का निदेश दिया गया ।

11. मनरेगा के अद्यतन दिशा निदेश के प्रावधानो के आलोक मे 3 साल से अधिक का संपोषण अनुमान्य नही है । इस अवधि से अधिक संपोषण हेतु भुगतान नही किया जाना है ।

(अनुपालन सभी पंचायतें, कार्यक्रम पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ।)

ह0/-
(श्री दीपक कुमार सिंह)
सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग

ह0/-
(श्री अमृत लाल मीणा)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

ग्रमीण विकास विभाग

ज्ञापांक:- 164669 दिनांक:- 27-09-2013

ग्रा0वि07(समन्वय)-03/2013

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी / सभी वन प्रमंडल पदधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25.9.13

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक:- 164669 दिनांक:- 27-09-2013

ग्रा0वि07(समन्वय)-03/2013

प्रतिलिपि:- विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25.9.13

अपर सचिव

ज्ञापांक:- 164669 दिनांक:- 27-09-2013

ग्रा0वि07(समन्वय)-03/2013

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25.9.13

अपर सचिव